भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2226

जिसका उत्तर 02 अगस्त, 2021/11 श्रावण, 1943 (शक) को दिया गया

किसानों को ऋण माफी

2226. श्री हाजी फजलुर रहमान:
श्री गिरीश चन्द्र:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा वर्ष 2019 से और चालू वर्ष के दौरान छोटे और सीमांत किसानों को श्रेणी-वार और बैंक-वार ऋण के प्रतिशत और धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश सहित देश में किसानों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों का ऋण माफ करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक माफ किया जाएगा तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. भागवत कराड)

(क) से (ग): कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना (एडीडब्ल्यूडीआरएस) 2008 के पश्चात भारत सरकार ने किसी भी कृषि ऋण माफी योजना को क्रियान्वित नहीं किया है। देश में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति किसानों सहित किसानों की ऋण माफी संबंधी कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों सहित कृषि कार्य में लगे लोगों के कल्याण तथा किसानों पर ऋण के बोझ को कम करने हेतु अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बड़ी पहलें की है:-

- भारत सरकार, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (डीएसी एंड एफडब्ल्यू) द्वारा किसानों को 7% प्रति वर्ष की कम ब्याज दर पर कृषि ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 3.00 लाख रुपए तक के अल्पावधि फसल ऋण संबंधी ब्याज सहायता योजना का कार्यान्वयन किया जाता है। इस योजना में बैंकों को अपने संसाधनों का उपयोग करने पर 2% प्रति वर्ष की ब्याज सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा, ऋण का तत्परता से पुनर्भुगतान करने पर किसानों को 3% का प्रोत्साहन दिया जाता है, इससे ब्याज की प्रभावी दर कम होकर 4% हो जाती है।

- औपचारिक ऋण प्रणाली में छोटे और सीमांत किसानों के कवरेज को बढ़ाने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने संपार्श्विक मुक्त कृषि ऋण की सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.6 लाख रुपये करने का निर्णय लिया है।

- छोटे, सीमांत, काश्तकार किसानों, मौखिक पट्टेदारों, आदि को संस्थागत ऋण के दायरे में लाने के लिए बैंकों द्वारा संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) को बढ़ावा दिया गया है।

- सभी किसानों को, उनकी भूमि के आकार पर विचार किए बिना निवारक घटक के अध्यधीन सुनिश्चित आय सहायत उपलब्ध कराने के लिए प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) योजना को लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी किसानों के खाते में 2000 रुपये के तीन समान किस्तों में प्रतिवर्ष 6000/- रुपये की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता अंतरित की जाती है।

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मुकाबले (पीएमएफबीवाई) गैर-निवारक प्राकृतिक जोखिम के कारण बीमित फसलों की हानि के प्रति व्यापक बीमा कवर प्रदान करती है, इस प्रकार, यह किसानों को अनापेक्षित घटनाओं से होने वाली फसल हानि/क्षति के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है; खेती में उनकी निरन्तरता सुनिश्चित रखने के लिए किसानों की आय को स्थिर बनाती है तथा उन्हें नवोन्मेषी एवं आधुनिक कृषि कार्यकलापों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है।

- जनजातीय कार्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा डीएसी एवं एफडब्ल्यू, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जनजातीय उप-योजनाओं को विशेष केन्द्रीय सहायता, जनजातीय उत्पादों/उपज को तैयार करने तथा इनके विपणन हेतु संस्थागत सहायता, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी), प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई), अनुसूसचित नीत उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीएल) के माध्यम से क्रेडिट लिंकेज तथा कौशल प्रशिक्षण शामिल है।

*****